न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 138/2024

अभिषेक पुत्र करनैल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 16 एफ बड़ा मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–:: बनाम ::–

– – प्रार्थी

1. कमलजीत कौर पत्नी विक्की निवासी बठिण्डा (पंजाब)
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री शिवदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 16 एफ बड़ा मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
4. करनेल सिंह पुत्र श्री शिवदेव सिह नि. 16 एफ बड़ा मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा — प्रार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग — अप्रार्थी संख्या–1
3. श्री भारत भूषण नागपाल — अप्रार्थी संख्या–2

दिनांक :– 17.02.2025

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के दादा शिवदेव सिंह को भारत सरकार द्वारा चक 16 एफ बड़ा में खाता संख्या–87/30 में मुरब्बा नम्बर–19 किला नम्बर –1/1, 1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6,7,8,9, 10/1,10/2,13/2, 14, 15 में कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा अलाट किया गया था। शिवदेव सिंह की मृत्यु होने के बाद उपरोक्त जमीन का वारिसान इन्तकाल करनैल सिंह पुत्र शिवदेव सिंह 791/6326 हिस्सा, जरनैल सिंह 791/6326 हिस्सा, बलवीर सिंह 1186/3163, सुखवीर सिंह 1186/3163 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा हाजा है। प्रार्थी का चाचा जरनैल सिंह अविवाहित ही स्वर्गवास हो गया था तथा सुखवीर सिंह का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो गया था इसका कोई लड़का लड़की नही थी तथा इसके मरने के बाद इसकी पत्नी कमलजीत कौर ने आगे शादी विक्की नाम के व्यक्ति से कर ली। अब वह अपने पति के साथ रह रही है क्योंकि सुखवीर सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो उसका इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं बनता। जैसे ही उसने दूसरी शादी कर ली वैसे ही उसका जमीन में अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि अब शिवदेव सिंह के दो ही वारिस है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 है तथा 6 बीघा जमीन का कब्जा प्रार्थी के पिता के पास है तथा 6 बीघा जमीन का कब्जा अप्रार्थी संख्या–2 के पास है। विवादग्रस्त भूमि दादा की होने पर प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार है। प्रार्थी के पिता के हिस्सा में 6 बीघा रकबा आता है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिनियम के तहत जन्म से ही अधिकार बनता है मगर अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 उपरोक्त जमीन को आगे बेचान करने की फिराक में है। यदि उनके द्वारा जमीन का आगे बेचान कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की होने की वजह से प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार है तथा प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि प्रार्थी का हिस्सा प्रार्थी के नाम करवा दें, पहले तो कहा कि कुछ दिन के बाद आपका हिस्सा आपके नाम करवा दूंगा मगर अप्रार्थीगण द्वारा ना करवाने पर प्रार्थी ने ग्राम में पंचायत की मगर अप्रार्थीगण द्वारा हिस्सा प्रार्थी को देने से इन्कार कर दिया तो अब प्रार्थी को वाद लाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा है यही बिनाए दावा है हाजा है। प्रार्थी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की घोषणा करवाने का हकदार है। अप्रार्थीगण इस उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि को आगे बेचान करने की फिराक में है यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं वाद–विवाद बढ़ेगा इसलिए प्रार्थी स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टि से मामला प्रार्थी के पक्ष में है एव सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा जमीन का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 16 एफ बड़ा खाता संख्या–87/30 में मुरब्बा नम्बर–19 में किला नम्बर– 1 से 15 तक कुल 2.9990 हैक्टेयर रकबा की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे तथा अप्रार्थीयान उक्त रकबा को रहन, बैय, मुन्तकिल करने से बाज व ममनूं रहे, आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की आरे से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. पेश किया गया। जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उसके सफल होने की लेश मात्र भी सम्भावना नहीं है अपितु वाद पत्र प्राथमिक रुप से ही विधि द्वारा बाधित होने के फलस्वरुप निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के चाचा जरनैल सिंह अविवाहित फौत हो गया था तथा **उत्तरदाता के पति सुखवीर सिंह का देहांत दिनांक 06.07.2013 को हो गया है जिससे उत्तरदाता के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी।** उक्त चरण में अंकित शेष तथ्य मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। **उत्तरदाता के द्वारा अपने पति सुखवीर सिंह की मृत्यु पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के साथ द्वितीय विवाह नहीं किया गया है तथा अप्रार्थीया/उत्तरदाता अपनी पति के नाम दर्ज विवादित 1186/3163 हिस्सा यानि 1.186 हैक्टेयर (4 बीघा 14 बिस्वा) की कृषि भूमि को सुखवीर सिंह की मृत्यु पश्चात उसकी एकमात्र विधिक वारिस होने के नाते प्राप्त करने की अधिकारी है जिसकी वह एकल स्वामित्व रखती है।** स्व० सुखवीर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि को प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाने के किसी भी रुप में अधिकारी नहीं है, उक्त भूमि स्व० सुखवीर सिंह को अपने पिता शिवदेव सिंह की मृत्यु उपरांत विरासतन प्राप्त हुई जिसकी मृत्यु पश्चात अप्रार्थीया बतौर पत्नी विधिक वारिस होने के नाते प्राप्त करने की अधिकारी है। जैसा की प्रार्थी द्वारा इस चरण में यह अंकित किया गया है कि अब शिवदेव सिंह के दो ही वारिस है जिसमें प्रार्थी स्वयं तथा अप्रार्थी संख्या 2 है। **प्रार्थी करनैल सिंह पुत्र शिवदेव सिंह का पुत्र है अर्थात शिवदेव सिंह का पौत्र है जो अपने पिता के जीवित रहते प्रथम श्रेणी का वारिस शिवदेव सिंह की सम्पति यानि सुखवीर सिंह की सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है।** वैसे भी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 4 के एक पत्नी एवं एक पुत्र–पुत्री वारिसान है जिनको वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। **विवादित कृषि भूमि में से स्व० सुखवीर सिंह के नाम दर्ज हिस्सा का कब्जा प्रार्थी के पास नहीं है अपितु अप्रार्थीया के पास चला आ रहा है जिसकी वह मालिक काबिज है।** सर्वप्रथम तो प्रार्थी को अपने पिता के जीवनकाल में अपने चाचा के नाम दर्ज कृषि भूमि को प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो स्व० शिवदेव सिंह का वटवृक्ष दर्शाया गया है वह अस्वीकार है चूंकि स्व० सुखवीर सिंह की पत्नी के रूप में अप्रार्थीया

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

और वारिस नहीं दिखाया गया है। अप्रार्थीया स्व० सुखवीर सिंह की वारिस होने के नाते उसके नाम दर्ज 1.186 हैक्टेयर भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है तथा स्व० करनैल सिंह का अविवाहित फौत होने के कारण उसके नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा दर्ज करने की भी विधिक अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में पृथक से प्रतिवाद पत्र अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी के पिता करनैल सिंह को 6 बीघा रकबा विधिक रूप से प्राप्त नहीं होता है तथा प्रार्थी का तो अपने पिता के जीवनकाल में वैसे भी विवादित भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा इस चरण में अंकित यह तथ्य कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादित भूमि विक्रय करने की फिराक में है तो अप्रार्थीया यहां यह विदित करना चाहती है कि स्व० सुखवीर सिंह के नाम दर्ज भूमि का इंतकाल अप्रार्थीया के नाम दर्ज ही नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरुप वह उक्त भूमि को किसी भी रूप में विक्रय नहीं कर सकती है तथा द्वितीय अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि का अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार है जो अपने नाम दर्ज भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी है अर्थात उसके हिस्से की भूमि में प्रार्थी या उसके पिता का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अंकित कथन सर्वथा मिथ्या एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से साबित होता है कि प्रार्थना पत्र पूर्ण रुप से विधिविरूद्ध है अर्थात प्राथमिक रुप से ही निरस्तनीय है जिस कारण प्रार्थी कोई भी अनुतोष माननीय न्यायालय से उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी अप्रार्थीया से विवादित भूमि को उसके नाम दर्ज करवाने हेतु कभी नहीं मिला तथा न ही प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं विधिविरूद्ध तथ्यों के आधार पर केवल मात्र अप्रार्थीया को प्राप्त होने वाली भूमि को उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से महरूम करने के लिए उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नही बनता है। इस संबंध में विस्तृत जवाब पूर्व के चरणों में अंकित किया जा चुका है। अप्रार्थीया के नाम सर्वप्रथम तो कृषि भूमि जो उसके पति स्व० सुखवीर सिंह के नाम दर्ज थी वह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ही नहीं करवाई गई है तो विक्रय करने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों एवं विधिविरूद्ध आधार पर वाद पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु सिद्ध नहीं होते है तथा न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य अंकित किये है जिससे तीनों आवश्यक तत्व प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हो अपितु जैसा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त चरणों में जवाब प्रार्थना पत्र के उपरोक्त चरणों में अंकित किया है प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण कारक उत्तरदाता के पक्ष में साबित होते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र साव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि प्रार्थी के दादा शिवदेव सिंह की मृत्यु होने के बाद उपरोक्त जमीन का वारिसान इन्तकाल करनैल सिंह पुत्र शिवदेव सिंह 791/6326 हिस्सा, जरनैल सिंह 791/6326 हिस्सा, बलवीर सिंह 1186/3163, सुखवीर सिंह 1186/3163 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का चाचा जरनैल सिंह अविवाहित ही स्वर्गवास हो गया था तथा सुखवीर सिंह का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो गया था इसका कोई लड़का लड़की नहीं थी तथा इसके मरने के बाद इसकी पत्नी कमलजीत कौर ने आगे शादी विक्की नाम के व्यक्ति से कर ली। अब वह अपने पति के साथ रह रही है क्योंकि सुखवीर सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो उसका इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं बनता। उसने दूसरी शादी कर ली वैसे ही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

[illegible] में अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि [illegible] सिंह के [illegible] उक्त जमीन में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-2 है तथा 6 बीघा जमीन का कब्जा प्रार्थी के [illegible] [illegible] 6 बीघा जमीन का कब्जा अप्रार्थी संख्या-2 के पास है। विवादग्रस्त भूमि [illegible] तथा 6 बीघा [illegible] का जन्म से ही हक व अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 [illegible] [illegible] प्रार्थी का [illegible] करने की फिराक में है। यदि उनके द्वारा जमीन का [illegible] किया [illegible] होगा। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की होने की [illegible] का पुत्र होने वाला नुकसान होगा। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की होने की [illegible] का जन्म से ही अधिकार है तथा प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। [illegible] वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगन कार्यवाही किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा [illegible]
Citation: 2014(2) DNJ (Raj.) 650], RRT 2006(2) pg 1086, 2021(2) RRT 817 पेश किये गये।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि [illegible] के पति सुखवीर सिंह का देहांत दिनांक 06.07.2013 को हो गया है जिससे [illegible] के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। [illegible] के द्वारा अपने पति सुखवीर सिंह की मृत्यु पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के साथ द्वितीय विवाह नहीं किया गया है तथा अप्रार्थीया/[illegible] अपने पति के नाम दर्ज विवादित 1186/3163 हिस्सा यानि 1.186 हैक्टेयर (4 बीघा 14 बिस्वा) की कृषि भूमि को सुखवीर सिंह की मृत्यु पश्चात उसकी एकमात्र विधिक वारिस होने के नाते प्राप्त करने की अधिकारी है जिसकी वह एकल स्वामित्व रखती है। प्रार्थी [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह का पुत्र है अर्थात शिवदेव सिंह का पौत्र है जो अपने पिता के जीवित रहते प्रथम श्रेणी का वारिस शिवदेव सिंह की सम्पत्ति यानि सुखवीर सिंह की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। विवादित कृषि भूमि में से स्व० सुखवीर सिंह के नाम दर्ज हिस्सा का कब्जा प्रार्थी के पास नहीं है अपितु अप्रार्थीया के पास चला आ रहा है जिसकी वह मालिक काबिज है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। माननीय न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अप्रार्थी संख्या 1 का पुनर्विवाह साबित नहीं है। साथ ही नवीनतम विधिक स्थिति अनुसार पुनर्विवाह का उत्तराधिकार अधिकारों पर प्रभाव नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवम अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद तत्कालीन [illegible] मूल वाद संख्या 149/2024 [illegible] अभिषेक बनाम कमलजीत कौर रहे।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
[illegible]